

## बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981

रूय में आयोजित कतिपय परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनाये जाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई और उससे संबंधित विषयों का उपलब्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित है ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-
  - (1) यह अधिनियम बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 कहलाएगा ।
  - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
  - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।
2. परिभाषाएँ-जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस अधिनियम में-
  - (1) "मान्यता प्राप्त परीक्षा" से अभिप्रेत है, अनुसूची में प्रमाणित कोई भी परीक्षा और राज्य सरकार के प्राधिकारी के अधीन या राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी निकाय द्वारा संचालित परीक्षा और इसमें मूल्यांकन, सारणीकरण, परीक्षाफल का प्रकाशन तथा परीक्षा और परीक्षाफल के प्रकाशन से संबंधित सभी विषय शामिल हैं; और
  - (2) किसी परीक्षा के संबंध में "अनुचित तरीके" से अभिप्रेत होगा किसी लिखित या मुद्रित सामग्री से या किसी व्यक्ति में किसी भी रूप में सहायता लेना या देना अथवा सहायता लेने या देने का प्रयास करना ।
3. परीक्षाओं में अनुचित तरीके से प्रयोग या छल या प्रतिषेध-कोई भी व्यक्ति अनुसूची में प्रमाणित किसी परीक्षा में या राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन या राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी निकाय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में या किसी मूल्यांकन या सारणीकरण कार्य में अथवा मान्यता प्राप्त परीक्षा से संबंधित किसी विषय में अनुचित तरीके या छल का सहारा लेना ।
4. अनुचित तरीके से प्रयोग में सहायता देना या उसके लिए दुष्प्रेरित अथवा षड्यंत्र करना-कोई भी व्यक्ति अनुसूची में प्रमाणित किसी परीक्षा में अनुचित तरीके से प्रयोग या छल में न तो सहायता देना और न उसके लिए दुष्प्रेरित या षड्यंत्र करेगा ।
5. प्रश्न-पत्र की प्रतियाँ और जानकारी देने का प्रतिबंध-ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्तव्य के आधार पर ऐसा करने के लिए विधि पूर्वक प्राधिकृत या अनुज्ञा-प्राप्त नहीं है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र की प्रतियाँ वितरित करने के लिए निर्धारित समय के पूर्व-
  - (1) ऐसा प्रश्न-पत्र या उसका कोई अंश अथवा उसकी प्रति न तो प्राप्त करेगा और न उसे प्राप्त अथवा कब्जे में करने का प्रयत्न करेगा, या
  - (2) ऐसी जानकारी न तो देगा और न देने का प्रस्ताव करेगा जिसके बारे में वह जानता हो या उसे विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसे प्रश्न-पत्र के बारे में है या उससे ली गई है अथवा उससे संबंधित है ।
6. परीक्षा कार्य सौंपे गये व्यक्ति द्वारा कोई बात प्रकट करने का रोक-ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया हो, जहाँ उसे कर्तव्य के आधार पर ऐसा करने की अनुमति हो वहाँ छोड़कर, इस प्रकार सौंपे गये कार्य फलस्वरूप प्राप्त कोई जानकारी या उसका अंश, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति पर तो प्रकट करेगा या करायेगा अथवा उससे अवगत करायेगा ।
7. जाली प्रश्न-पत्रों पर रोक-कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी प्रश्न-पत्र नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा, वितरित नहीं करेगा या उसके अन्यथा प्रचार नहीं करेगा या करायेगा जो किसी आगामी मान्यता प्राप्त परीक्षा में दिया जानेवाला या दिया जा सकने वाला प्रश्न-पत्र या होन के लिए तात्पर्यित हो ।
8. परीक्षा केन्द्र आदि के नजदीक मटरगस्ती, आदि करने पर रोक-जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के आधार पर ऐसा करने के लिए अनुमत हो या जो व्यक्ति केंद्राधीक्षक से अन्यून पक्ति के किसी पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो उसे

छोड़कर कोई भी व्यक्ति जिस तारीख (या जिन तारीखों को किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा का संचालन, मूल्यांकन या सारणीकरण कार्य किया जाये उस तारीख या उन तारीखों को किसी भी परीक्षा केन्द्र में ऐसी परीक्षा के संचालन : मूल्यांकन) सारणीकरण कार्य के समय और ऐसी परीक्षा या मूल्यांकन या सारणीकरण के प्रारंभ के दो घंटे पहले परीक्षा केन्द्र परिसर के भीतर अथवा किसी ऐसे स्थान पर जहाँ मूल्यांकन या सारणीकरण कार्य चल रहा हो या परीक्षा केन्द्र या मूल्यांकन या सारणीकरण कार्य-स्थल से पाँच सौ गज की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में, निम्नलिखित कोई काम नहीं करेगा-

(क) मटरगस्ती करना ।

(ख) परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज पत्र या अन्य सामग्री वितरित करना या वितरित करवाना अथवा उसका अन्यथा प्रचार करना या प्रचार करवाना ।

(ग) ऐसे अन्य कार्य कलाप में संलग्न होना जिससे परीक्षा के संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे परीक्षा केन्द्र में ली जा रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी कार्यकलापों के संबंध में लागू नहीं होगी ।

9. परीक्षा आदि के समुचित संचालन के सम्बद्ध व्यक्ति को सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने से इन्कार करने पर रोक-जिस व्यक्ति को किसी परीक्षा का निरीक्षण या अधीक्षण या मूल्यांकन कार्य, सारणीकरण, परीक्षाफल का प्रकाशन तथा परीक्षा और परीक्षाफल के प्रकाशन से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया हो, वह सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने से इन्कार नहीं करेगा ।

10. शक्ति-जो व्यक्ति धारा 3 से 9 तक के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह अधिक से अधिक 6 महीने और कम से कम 5 महीने के कारावास या 2 हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित होगा ।

11. अपराध का स्वरूप और विचारण-इस अधिनियम के अधीन किये गये अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे तथा कार्यपालक दंडाधिकारी जिन्हें सम्यक् एवं उचित रूप से प्राधिकृत किया गया हो इनका निपटारा संक्षिप्त विचारण द्वारा करेंगे ।

12. मामले की छानबीन-इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों की छानबीन आरक्षी उपाधीक्षक के अन्यून पौक्ति के पदाधिकारी द्वारा की जायेगी ।

13. अपील-इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन दोष-सिद्धि के विरुद्ध सम्बद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास की जायेगी ।

14. अनुसूचि संशोधित करने की शक्ति-राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी परीक्षा को अनुसूची में जोड़ सकेगी या उसे हटा सकेगी ।

15. निरसन और व्याप्ति-

(1) परीक्षा संचालन तृतीय अध्यादेश 1981 (बिहार अधिनियम संख्या 171, 1981) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति को प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया कोई कार्य या की गई कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था तो ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

अनुसूचि-बिहार माध्यमिक विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन संचालित परीक्षा ।

वि० ना० मेहरोत्रा  
सरकार के उप-सचिव